रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032021-225914
CG-DL-E-15032021-225914

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 15, 2021/फाल्गुन 24, 1942
No. 98] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 15, 2021/PHALGUNA 24, 1942

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2021

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2021

आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.070.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) में विनियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"12क. दावे का अद्यतन किया जाना।

लेनदार, अपने दावे को, जैसे ही उस दावे की दिवाला प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् किसी भी स्रोत से किसी भी रीति में भागतः या पूर्णतः तुष्टि हो जाती है, अद्यतन करेगा ।"

3. मूल विनियमों के विनियम 40ख में, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) जहां नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में कथित कोई क्रियाकलाप उसमें विनिर्दिष्ट तारीख तक पूरा नहीं होता है वहां यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, उक्त तारीख से तीन दिन के भीतर प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 फाइल करेगा और जब तक उक्त क्रियाकलाप अपूर्ण रहता है तब तक प्रत्येक तीस दिन में प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 फाइल करता रहेगा:-

क्र.सं.	**वह क्रियाकलाप, जिसमें प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 फाइल किया जाना अपेक्षित है, यदि वह विनिर्दिष्ट तारीख तक पूरा नहीं होता है**	**प्रथम बार प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 फाइल करने के लिए समय-सीमा**	**पश्चात्वर्ती प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 फाइल करने के लिए समय-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सार्वजनिक उद्घोषणा टी+तीसरे दिन तक नहीं की जाती है	स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तारीख+3 दिन	X+30वां दिन, X+60वां दिन, X+90वां दिन, इत्यादि, जब तक वह क्रियाकलाप पूरा नहीं हो जाता है ।
2	समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति टी+30वें दिन तक नहीं की जाती है		
3	सूचना ज्ञापन, सार्वजनिक उद्घोषणा की तारीख से 51 दिन के भीतर जारी नहीं किया जाता है		
4	आर.एफ.आर.पी., सूचना ज्ञापन जारी किए जाने की तारीख से 51 दिन के भीतर जारी नहीं किया जाता है		
5	सी.आई.आर.पी. टी+180वें दिन तक पूरी नहीं होती है		

टी = सी.आई.आर.पी. के प्रारंभ होने की तारीख, और

X = स्तंभ (3) के अधीन प्रथम बार प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 फाइल करने की तारीख ।

परन्तु पश्चात्वर्ती प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 तब तक फाइल नहीं किया जाएगा जब तक कि पूर्ववर्ती प्ररूप सी.आई.आर.पी.7 फाइल करने से तीस दिन व्यतीत न हो गए हों ।

स्पष्टीकरण: एक समय में केवल एक प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 फाइल किया जाएगा, चाहे विनिर्दिष्ट तारीख तक एक या उससे अधिक क्रियाकलाप पूरे न किए गए हों ।

दृष्टांत

(क) यदि सार्वजनिक उद्घोषणा टी+तीसरे दिन तक नहीं की जाती है तो प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 टी+छठे दिन तक फाइल किया जाएगा । इसके पश्चात्, यदि सार्वजनिक उद्घोषणा टी+16वें दिन को की जाती है तो कोई अतिरिक्त प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 फाइल नहीं किया जाएगा । तथापि, यदि सार्वजनिक उद्घोषणा टी+33वें दिन तक नहीं की जाती है तो प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 टी+36वें दिन को फाइल किया जाएगा ।

(ख) यदि सार्वजनिक उद्घोषणा टी+तीसरे दिन तक नहीं की जाती है तो प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 टी+छठे दिन तक फाइल किया जाएगा । इसके पश्चात्, यदि सार्वजनिक उद्घोषणा टी+16वें दिन को की जाती है तो कोई अतिरिक्त प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 फाइल नहीं किया जाएगा । तथापि, यदि समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति टी+30वें दिन तक नहीं की

जाती है, यद्यपि प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 टी+33वें दिन तक फाइल किया जाना होता है, तो वह प्रथम प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 फाइल किए जाने से 30वें दिन को, अर्थात्, टी+36वें दिन को फाइल किया जाएगा।

(ग) यदि सार्वजनिक उद्घोषणा टी+तीसरे दिन तक नहीं की जाती है तो प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 टी+छठे दिन तक फाइल किया जाएगा। इसके पश्चात्, यदि या तो सार्वजनिक उद्घोषणा टी+33वें दिन तक नहीं की जाती है या समाधान व्यावसायिक की नियुक्ति टी+30वें दिन तक नहीं की जाती है तो प्ररूप सी.आई.आर.पी. 7 टी+36वें दिन को फाइल किया जाएगा।"

4. मूल विनियमों की अनुसूची में, प्ररूप ग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप ग

वित्तीय लेनदारों द्वारा दावा प्रस्तुत किया जाना

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 8 के अधीन]

[तारीख]

प्रेषक

(वित्तीय लेनदार का नाम और पता, जिसके अंतर्गत उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय का पता भी है)

सेवा में,

अंतरिम समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक

(अंतरिम समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक का नाम)

(सार्वजनिक उद्घोषणा में यथा-उपवर्णित पता)

विषय: दावा और दावे के सबूत का प्रस्तुत किया जाना।

महोदया/महोदय,

........(वित्तीय लेनदार का नाम) ....(कारपोरेट ऋणी का नाम) की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की बाबत यह दावा प्रस्तुत करता है। इसका विवरण नीचे उपवर्णित किया जाता है:

सुसंगत विशिष्टियां		
(1)	(2)	(3)
1.	वित्तीय लेनदार का नाम	
2.	वित्तीय लेनदार का पहचान संख्यांक (यदि कोई निगमित निकाय है तो पहचान संख्यांक और निगमन का सबूत दें। यदि कोई भागीदारी या व्यष्टि है तो सभी भागीदारों या व्यष्टि के पहचान अभिलेख* दें)	
3.	पत्र-व्यवहार के लिए वित्तीय लेनदार का पता और ई-मेल पता	
4.	दावे के ब्यौरे, यदि वह कारपोरेट ऋणी के विरुद्ध मुख्य उधार लेने वाले के रूप में किया जाता है: (i) दावे की रकम (ii) दावे की वह रकम, जो प्रतिभूति हित, यदि कोई है, के अंतर्गत आती है	

	(कृपया प्रतिभूति हित के ब्यौरे, प्रतिभूति का मूल्य और वह तारीख, जब यह दिया गया था, दें) (iii) दावे की वह रकम, जो प्रत्याभूति, यदि कोई है, के अंतर्गत आती है (कृपया धारित प्रत्याभूति के ब्यौरे, प्रत्याभूति का मूल्य और वह तारीख, जब वह दी गई थी, दें) (iv) प्रत्याभूतिदाता (प्रतिभूतिदाताओं) का(के) नाम और पता(पते)	
5.	दावे के ब्यौरे, यदि वह कारपोरेट ऋणी के विरुद्ध प्रत्याभूतिदाता के रूप में किया जाता है: (i) दावे की रकम (ii) दावे की वह रकम, जो प्रतिभूति हित, यदि कोई है, के अंतर्गत आती है (कृपया प्रतिभूति हित के ब्यौरे, प्रतिभूति का मूल्य और वह तारीख, जब यह दिया गया था, दें) (iii) दावे की वह रकम, जो प्रत्याभूति, यदि कोई है, के अंतर्गत आती है (कृपया धारित प्रत्याभूति के ब्यौरे, प्रत्याभूति का मूल्य और वह तारीख, जब वह दी गई थी, दें) (iv) मुख्य उधार लेने वाले का नाम और पता	
6.	दावे के ब्यौरे, यदि वह लेनदार द्वारा दिए गए संहिता की धारा 5 की उपधारा (8) के खंड (ज) और (झ) के अंतर्गत आने वाले वित्तीय ऋण की बाबत किया जाता है: (i) दावे की रकम (ii) हितधारक का नाम और पता	
7.	इस संबंध में ब्यौरे कि ऋण कब और कैसे उपगत हुआ	
8.	कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच किसी पारस्परिक प्रत्यय, पारस्परिक ऋण या अन्य पारस्परिक व्यवहारों के ब्यौरे, जिनका दावे के मद्धे समायोजन किया जा सकता है	
9.	बैंक खाते का ब्यौरा, जिसमें किसी समाधान योजना के अनुसरण में दावे या उसके किसी भाग की रकम अंतरित की जा सकती है	

(वित्तीय लेनदार या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर) [कृपया प्राधिकार-पत्र संलग्न करें यदि यह वित्तीय लेनदारों की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है]
नाम स्पष्ट अक्षरों में
लेनदार के साथ स्थिति या संबंध
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता

* पैन, पासपोर्ट, आधार कार्ड या भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र

घोषणा

मैं ....(दावाकर्ता का नाम) वर्तमान निवासी.........(पता अंतःस्थापित करें) यह घोषणा और कथन करता हूं:-

1. ....(कारपोरेट ऋणी का नाम), कारपोरेट ऋणी, दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को जो कि.....................20.... है वास्तव में ....रुपए [दावे की रकम भरें] की राशि के लिए मेरा ऋणी था।

2. मैने उक्त धनराशि या उसके किसी भाग के अपने दावे की बाबत नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ों का अवलंब लिया है: (कृपया दावे के साक्ष्यस्वरूप अवलंब लिए गए दस्तावेज़ों की सूची दें)

3. उक्त दस्तावेज़ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, विधिमान्य और असली हैं और उनमें से कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है।

4. मैंने और मेरे आदेश से किसी व्यक्ति ने, मेरे ज्ञान या विश्वास के अनुसार, उक्त राशि या उसके किसी भाग की बाबत मेरे उपयोग के लिए किसी भी रीति में, निम्नलिखित के सिवाय किसी भी प्रकार की तुष्टि या प्रतिभूति नहीं की है या प्राप्त नहीं की है :

[कृपया किसी पारस्परिक प्रत्यय, पारस्परिक ऋण या कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच अन्य पारस्परिक संव्यवहारों के ब्यौरें दें, जिनका दावे के मद्धे समायोजन किया जा सके।]

5. मैं अपने दावे को, जैसे ही दिवाला प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् किसी भी स्रोत से किसी भी रीति में उसकी भागतः या पूर्णतः तुष्टि हो जाती है, अद्यतन करने का वचन देता हूं।

6. मैं संहिता की धारा 5(24) के अधीन यथा-परिभाषित कारपोरेट ऋणी/उसके संबंध में संबद्ध पक्षकार नहीं हूं।

7. मैं संहिता की धारा 21(2) के परन्तुक के आधार पर लेनदारों की समिति में प्रवेश करने का पात्र हूं यद्यपि मैं कारपोरेट ऋणी से संबद्ध पक्षकार हूं।

तारीख:

स्थान: (दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं [नाम] इसमें इसके ऊपर दावाकर्ता, एतद्वारा यह सत्यापन करता हूं कि दावे के इस सबूत की अंतर्वस्तुएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और ठीक हैं तथा कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है।

.... 20.... को सत्यापित।

(दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

[टिप्पण: कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, घोषणा और सत्यापन निदेशक/प्रबंधक/सचिव/अभिहित भागीदार द्वारा और अन्य संस्थाओं की दशा में, संस्था द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा] ”

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन- III/4/असा./533/2020-21]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 489, तारीख 13 नवम्बर, 2020 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.066, तारीख 13 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2020 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2021

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2021.

No. IBBI/2020-21/GN/REG070.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), after regulation 12, the following regulation shall be inserted, namely: -

"12A. Updation of claim.

A creditor shall update its claim as and when the claim is satisfied, partly or fully, from any source in any manner, after the insolvency commencement date."

3. In the principal regulations, in regulation 40B, after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

"(1A) Where any activity stated in column (2) of table below is not complete by the date specified therein, the interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, shall file Form CIRP 7 within three days of the said date, and continue to file Form CIRP 7, every 30 days, until the said activity remains incomplete-:

Sl.	**Activity requiring filing of Form CIRP 7, if not completed by the specified date**	**Timeline for filing Form CIRP 7 for the first time**	**Timeline for subsequent filing of Form CIRP 7**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Public announcement is not made by T+3rd day	Date specified in column (2) + 3 days	X+30th day, X+60th day, X+90th day, and so on, till the activity is completed.
2	Appointment of RP is not made by T+30th day		
3	Information memorandum is not issued within 51 days from the date of public announcement		
4	RFRP is not issued within 51 days from the date of issue of information memorandum		
5	CIRP is not completed by T+180th day		

T = Insolvency commencement date, and

X = Date of filing of Form CIRP 7 for the first time under column (3).

Provided that subsequent filing of Form CIRP 7 shall not be made until thirty days have lapsed from the filing of an earlier Form CIRP 7.

Clarification: Only one Form CIRP 7 shall be filed at any time whether one or more activity is not complete by the specified date.

Illustration

(a) If public announcement is not made by T+3rd day, Form CIRP 7 shall be filed by T+6th day. Thereafter, if public announcement is made on T+16th day, no further Form CIRP 7 will be filed. However, if public announcement is not made till T+33rd day, Form CIRP 7 shall be filed on T+36th day.

(b) If public announcement is not made by T+3rd day, Form CIRP 7 shall be filed by T+6th day. Thereafter, if public announcement is made on T+16th day, no further Form CIRP 7 will be filed. However, if RP is not appointed by T+30th day, though Form CIRP 7 becomes due by T+33rd day, it shall be filed on 30th day from the filing of first Form CIRP 7, that is, on T+36th day.

(c) If public announcement is not made by T+3rd day, Form CIRP 7 shall be filed by T+6th day. Thereafter, if either public announcement is not made till T+33rd day or RP is not appointed by T+30th day, Form CIRP 7 shall be filed on T+36th day."

4. In the Schedule to the principal regulations, Form C shall be substituted with the following:

"FORM C

SUBMISSION OF CLAIM BY FINANCIAL CREDITORS

(Under Regulation 8 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

[Date]

From

[*Name and address of the financial creditor, including address of its registered office and principal office*]

To

The Interim Resolution Professional / Resolution Professional

[Name of the Insolvency Resolution Professional / Resolution Professional]

[Address as set out in public announcement]

Subject: **Submission of claim and proof of claim.**

Madam/Sir,

[Name of the financial creditor], hereby submits this claim in respect of the corporate insolvency resolution process of [name of corporate debtor]. The details for the same are set out below:

Relevant Particulars		
(1)	(2)	(3)
1.	Name of the financial creditor	
2.	Identification number of the financial creditor (If an incorporated body, provide identification number and proof of incorporation. If a partnership or individual provide identification records* of all the partners or the individual)	
3.	Address and email address of the financial creditor for correspondence	
4.	Details of claim, if it is made against corporate debtor as principal borrower: (i) Amount of claim (ii) Amount of claim covered by security interest, if any (Please provide details of security interest, the value of the security, and the date it was given)	

	(iii) Amount of claim covered by guarantee, if any (Please provide details of guarantee held, the value of the guarantee, and the date it was given) (iv) Name and address of the guarantor(s)	
5.	Details of claim, if it is made against corporate debtor as guarantor: (i) Amount of claim (ii) Amount of claim covered by security interest, if any (Please provide details of security interest, the value of the security, and the date it was given) (iii) Amount of claim covered by guarantee, if any (Please provide details of guarantee held, the value of the guarantee, and the date it was given) (iv) Name and address of the principal borrower	
6.	Details of claim, if it is made in respect of financial debt covered under clauses (h) and (i) of sub-section (8) of section 5 of the Code, extended by the creditor: (i) Amount of claim (ii) Name and address of the beneficiary	
7.	Details of how and when debt incurred	
8.	Details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate debtor and the creditor which may be set-off against the claim	
9.	Details of the bank account to which the amount of the claim or any part thereof can be transferred pursuant to a resolution plan	
(Signature of financial creditor or person authorised to act on its behalf) [Please enclose the authority if this is being submitted on behalf of the financial creditor]		
Name in BLOCK LETTERS		
Position with or in relation to creditor		
Address of person signing		

*****PAN, passport, AADHAAR Card or the identity card issued by the Election Commission of India.

DECLARATION

I, [Name of claimant], currently residing at [insert address], do hereby declare and state as follows: -

1. [Name of corporate debtor], the corporate debtor was, at the insolvency commencement date, being the……………..day of…………..20……., actually indebted to me for a sum of Rs. [insert amount of claim].

2. In respect of my claim of the said sum or any part thereof, I have relied on the documents specified below: [Please list the documents relied on as evidence of claim].

3. The said documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief and no material facts have been concealed therefrom.

4. In respect of the said sum or any part thereof, neither I, nor any person, by my order, to my knowledge or belief, for my use, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following:

[Please state details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate debtor and the creditor which may be set-off against the claim].

5. I undertake to update my claim as and when the claim is satisfied, partly or fully, from any source in any manner, after the insolvency commencement date.

6. I am / I am not a related party of the corporate debtor, as defined under section 5 (24) of the Code.

7. I am eligible to join committee of creditors by virtue of proviso to section 21 (2) of the Code even though I am a related party of the corporate debtor.

Date:

Place:

(Signature of the claimant)

VERIFICATION

I, [Name] the claimant hereinabove, do hereby verify that the contents of this proof of claim are true and correct to my knowledge and belief and no material fact has been concealed therefrom.

Verified at … on this …… day of ………., 20….

(Signature of claimant)

[Note: In the case of company or limited liability partnership, the declaration and verification shall be made by the director/manager/secretary/designated partner and in the case of other entities, an officer authorised for the purpose by the entity.]"

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[Advt.-III/4/Ext./533/2020-21]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fifth Amendment) Regulations, 2020 published *vide* notification No. IBBI/2020-21/GN/REG066, dated the 13th November, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 489 on 13th November, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.15 22:22:12 +05'30'